सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

दिनांक 20.08.2020
समय– पूर्वाह्न 11.00 बजे
स्थान– कुलपति महोदय का कार्यालयीय कक्ष।

परीक्षा समिति

उपस्थिति

आज दिनांक 20.08.2020 को कुलपति महोदय की अध्यक्षता में परीक्षा–समिति की आपात बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

1. प्रो. राजाराम शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रो. महेन्द्र पाण्डेय, वेद वेदांग संकायाध्यक्ष – सदस्य
3. प्रो. शशिरानी मिश्र, साहित्य संस्कृति संकायाध्यक्ष – सदस्य
4. प्रो. सुधाकर मिश्र, दर्शन संकायाध्यक्ष – सदस्य
5. प्रो. रमेश प्रसाद, श्रमण विद्या संकायाध्यक्ष – सदस्य
6. प्रो. जितेन्द्र कुमार, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकायाध्यक्ष – सदस्य
7. डॉ. नीलम गुप्ता (प्राचार्या), आयुर्वेद संकायाध्यक्ष – सदस्य
8. श्री विशेश्वर प्रसाद, परीक्षा नियन्त्रक – सचिव/सदस्य
9. श्री विजय मणि त्रिपाठी, सिस्टम मैनेजर – विशेष आमन्त्रित सदस्य

बैठक में वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण विश्वविद्यालय परिसर तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में वर्ष 2020 की प्रथमा, मध्यमा, प्रमाणपत्रीय, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रस्तावित एवं लम्बित संस्थागत/व्यक्तिगत/बैक पेपर/श्रेणी सुधार/भूतपूर्व छात्र/एकल विषयक प्रकार की विभिन्न कक्षाओं की अन्तिम खण्डो की परीक्षाओं के संचालन विधि, विभिन्न खण्डों में बिना परीक्षा आयोजन के अगले खण्डों में प्रोन्नत करने तथा औसतांक प्रदान कर उत्तीर्ण करने के सम्बन्ध में राज्य उच्च शिक्षा परिषद के पत्रांक 242/रा0उ0शि0प्र0/53/19 दिनांक 16.07.2020 में वर्णित सुझावों तथा माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के साथ तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मध्यमा स्तर की अंतिम खण्डों की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 34 /पन्द्रह–9–2020 दिनांक 08 जुलाई 2020 के परिप्रेक्ष्य में गहन विचार–विमर्श कर अधोलिखित निर्णय लिये गये–

1. कोविड–19 वैश्विक महामारी से बचाव हेतु निर्धारित प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराते हुए शास्त्री तृतीय/आचार्य द्वितीय/आचार्य चतुर्थ सेमेस्टर तथा संस्कृत प्रमाणपत्रीय तृतीय खण्ड की 2020 वर्षीय परीक्षा 22.09.2020 से आयोजित की जाय।
2. शास्त्री प्रथम खण्ड वर्ष 2020 के छात्रों को शास्त्री द्वितीय खण्ड में प्रोन्नत/प्रवेश दिया जाय एवं वे छात्र 2020–21 की द्वितीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तथा उनके द्वितीय खण्ड के समस्त विषयों के प्राप्तांकों के औसतांक ही उनके प्रथम खण्ड में प्राप्तांक दिया जाय। ऐसे ही शास्त्री द्वितीय खण्ड वर्ष 2020 के छात्रों को शास्त्री तृतीय खण्ड में प्रोन्नत/ प्रवेश दिया जाय और उनके शास्त्री प्रथम खण्ड वर्ष 2019 अथवा नियमानुसार मान्य 2019 के पूर्व के शास्त्री प्रथम खण्ड के छात्रों के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसतांक ही उनके द्वितीय खण्ड का प्राप्तांक होगा।

3. आचार्य सत्र 2019–2021 के द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाय तथा इन छात्रों का इनके प्रथम सेमेस्टर के अंकों के यथा निर्धारित पद्धति से प्रदत्त औसतांक द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांक होंगे।

4. संस्कृत प्रमाणपत्रीय प्रथम खण्ड वर्ष 2020 के छात्रों को संस्कृत प्रमाणपत्रीय द्वितीय खण्ड में प्रोन्नत/प्रवेश दिया जाय एवं ये छात्र 2020–21 की द्वितीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तथा उनके द्वितीय खण्ड के समस्त विषयों के प्राप्तांकों के औसतांक ही उनके प्रथम खण्ड में प्राप्तांक दिया जाय। ऐसे संस्कृत प्रमाणपत्रीय द्वितीय खण्ड वर्ष 2020 के छात्रों को संस्कृत प्रमाणपत्रीय तृतीय खण्ड में प्रोन्नत/ प्रवेश दिया जाय और उनके प्रथम खण्ड वर्ष 2019 के अथवा नियमानुसार मान्य 2019 के पूर्व के संस्कृत प्रमाणपत्रीय प्रथम खण्ड के छात्रों के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसतांक ही उनके द्वितीय खण्ड का प्राप्तांक होगा।

5. सत्र 2018–2020 के पत्रकारिता एवं जनसंचार विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर तथा 2020 वर्षीय संगीत प्रमाणपत्रीय द्वितीय खण्ड एवं विदेशी भाषा डिप्लोमा द्वितीय खण्ड की परीक्षा आयोजित की जाय।

6. सत्र 2019–2021 के पत्रकारिता एवं जनसंचार विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाय तथा उनके प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांकों के आधार पर द्वितीय सेमेस्टर में औसतांक दिया जाय।

7. संगीत प्रमाणपत्रीय प्रथम खण्ड के छात्रों को संगीत प्रमाणपत्रीय द्वितीय खण्ड में प्रोन्नत किया जाय तथा उनके द्वितीय खण्ड वर्ष 2021 के प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम खण्ड 2020 में औसतांक दिया जाय।

8. विदेशी भाषा डिप्लोमा प्रथम खण्ड के छात्रों को विदेशी भाषा डिप्लोमा द्वितीय खण्ड में प्रोन्नत किया जाय तथा उनके द्वितीय खण्ड वर्ष 2021 के प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम खण्ड 2020 में औसतांक दिया जाय।

9. शिक्षाशास्त्री (बी0एड0) वर्ष 2020 की परीक्षा–आयोजन के सम्बंध में विभागाध्यक्ष से प्रस्ताव प्राप्त कर निर्णय लिया जाय तथा परीक्षा समिति की आगामी बैठक में सूचित किया जाय।

10. इसके अतिरिक्त एक वर्षीय पाठ्यक्रम जैसे बी0लिब0एस–सी0, भाषाविज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं विदेशी भाषा उच्चतर अनुवाद की परीक्षायें आयोजित की जाय।

11. दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र में संचालित पाठ्यक्रमों की 2020 वर्षीय परीक्षा–आयोजन के सम्बंध में निदेशक से प्रस्ताव प्राप्त कर निर्णय लिया जाय तथा परीक्षा समिति की आगामी बैठक में सूचित किया जाय।

12. आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) के 2020 वर्षीय विभिन्न व्यावसायिक खण्डों की परीक्षाओं के आयोजन के सम्बन्ध में प्राचार्य से प्रस्ताव प्राप्त कर निर्णय लिया जाय तथा परीक्षा समिति की आगामी बैठक में सूचित किया जाय।

13. मध्यमा परीक्षा सम्बन्धी निर्णय

(i) प्रथमा कक्षा वर्ष–2020 के परीक्षार्थियों को सम्बन्धित महाविद्यालय से उनकी उपस्थिति तथा अध्ययन के समय विभिन्न विषयों/पत्रों में उनकी क्षमता/प्रदर्शन के आधार पर आंकलन/परीक्षण कर पत्रवार प्राप्तांकों को प्राप्त कर परीक्षाफल घोषित किया जाय।

(ii) पूर्वमध्यमा प्रथम खण्ड–2020 तथा उत्तरमध्यमा प्रथम खण्ड–2020 के परीक्षार्थियों को क्रमशः पूर्वमध्यमा द्वितीय वर्ष–2021 तथा उत्तरमध्यमा द्वितीय वर्ष–2021 में प्रवेश हेतु प्रोन्नत किया जाय तथा वर्ष–2021 की परीक्षा में उनके द्वारा द्वितीय खण्डों के प्राप्तांकों को उनके वर्तमान वर्ष–2020 के उक्त कक्षाओं के प्रथम खण्डों में प्राप्तांक दिये जाएंगे।

(iii) पूर्वमध्यमा द्वितीय खण्ड–2020 तथा उत्तरमध्यमा द्वितीय खण्ड–2020 के परीक्षार्थियों को उनके प्रथम खण्ड के प्राप्तांकों के आधार पर अंक प्रदान कर परीक्षाफल एवं श्रेणी घोषित किया जाय। **(उ0प्र0 शासन के अपर मुख्य सचिव द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित पूर्वमध्यमा तथा उत्तरमध्यमा कक्षाओं के द्वितीय खण्ड के परीक्षाफलों के प्रकाशन हेतु इसी आशय का शासनादेश दिनांक 08 जुलाई 2020 भी निर्गत है)।**

14. बैक पेपर/श्रेणी सुधार परीक्षा सम्बन्धी निर्णय

A- स्नातक द्वितीय वर्ष 2020 के ऐसे छात्र जिनका प्रथम वर्ष में बैक है तथा बैक हेतु परीक्षावेदन किया है उन्हें प्रथम वर्ष 2019 में बैक पेपर वाले पत्र/पत्रों को छोड़कर शेष पत्रों के प्राप्तांकों के औसतांक के आधार पर उस बैक पेपर का प्राप्तांक दिया जाय। त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की स्थिति में तृतीय वर्ष 2021 में प्रवेश के लिये भी अर्ह समझा जाय।

B- स्नातक तृतीय वर्ष 2020 के ऐसे छात्र जिनका द्वितीय वर्ष में बैक पेपर है तथा बैक हेतु परीक्षावेदन किया है, उन्हें द्वितीय वर्ष 2019 में बैक पेपर वाले पत्र/पत्रों को छोड़कर शेष पत्रों के प्राप्तांकों के औसतांक पर उस/उन बैक पेपर्स का प्राप्तांक दिया जाय तथा तदनुसार शास्त्री तृतीय 2020 के परीक्षा परिणाम में द्वितीय खण्ड की प्रविष्टि की जाय।

C- पूर्वमध्यमा द्वितीय/उत्तरमध्यमा द्वितीय 2020 के ऐसे छात्र जिनका प्रथम खण्ड में बैक पेपर है तथा बैक पेपर हेतु परीक्षा आवेदन किया है उन्हें प्रथम खण्ड के बैक पेपर वाले पत्र/पत्रों को छोड़कर शेष पत्रों के औसतांक को बैक पेपर का प्राप्तांक दिया जाय तथा तदनुसार द्वितीय खण्डों 2020 के परीक्षा परिणाम में प्रथम खण्ड के बैक पेपर के औसतांक सहित पूर्णांक की प्रविष्टि की जाय।

D- 2020 वर्षीय परीक्षा में बैक पेपर तथा श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा देने की सुविधा मात्र वर्ष–2019 वाले शास्त्री तृतीय/आचार्य द्वितीय/संस्कृत प्रमाण पत्रीय तृतीय खण्ड तथा शिक्षाशास्त्री–द्वितीय खण्ड को नियमानुसार परीक्षावेदन पत्र पूरित किये हुए परीक्षार्थियों को होगी।

E- वार्षिक परीक्षा प्रणाली के द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों के प्रथम खण्ड तथा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों के प्रथम तथा द्वितीय खण्ड में श्रेणी निर्धारण नहीं होता तथापि इन खण्डों में भी श्रेणी सुधार की परीक्षा का विकल्प छात्रों को दिया जाता है ऐसे छात्रों को विशेष परिस्थिति में प्राप्तांकों को अपग्रेड करने हेतु अगले वर्षों में पाठ्यक्रम की पूर्णता के पूर्व यदि प्रथम तथा द्वितीय खण्ड की परीक्षाएं होगी तब परीक्षा समिति विचार कर निर्णय लेगी।

F- प्रथम एवं अन्तिम वर्ष सहित सभी वर्षों के ऐसे छात्र जो 2021 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित किये जाने वाले 2020 की अवशेष परीक्षाओं (जिनमें औसतांक दिया जाएगा) के परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वे 2021 हेतु आयोजित होने वाली बैक पेपर/श्रेणी सुधार परीक्षा 2021–22 में आयोजित होने वाली वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के उन समस्त/किसी भी विषय में सम्मिलित होकर अपने अंकों में सुधार करने के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

15. औसतांक प्रदान करने की पद्धति

A. आचार्य द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को उनके प्रथम सेमेस्टर की उत्तीर्णता की स्थिति में प्रथम सेमेस्टर के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पत्रों के प्राप्तांकों को क्रमानुसार आचार्य द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पत्रों में प्राप्तांक दिया जाय। इसी प्रकार पत्रकारिता एवं जनसंचार विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों का प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में पत्रो के अनुसार द्वितीय सेमेस्टर के पत्रो में क्रमानुसार प्राप्तांक दिया जाय।

B. पूर्वमध्यमा/उत्तरमध्यमा/शास्त्री के औसत देने वाले आधार कक्षाओं के खण्डों में उत्तीर्णता की स्थिति में अनिवार्य पत्र/'क' वर्ग/'ख' वर्ग तथा ऐच्छिकोतिरिक्त विषय एवं पर्यावरण अध्ययन में इनके समूहवार प्राप्तांकों का औसतांक निकालकर औसत पाने वाले कक्षाओं के खण्डों में उन्ही समान समूहों में औसतांक दिया जाय।

C. अगले खण्ड में किन्हीं पत्रों में अनुत्तीर्ण होने पर उत्तीर्णांक वाले समूह/पत्रों के आधार पर उनके समान समूह वाले में औसतांक दिया जाय परन्तु अनुत्तीर्ण वाले समूह/पत्रो के सापेक्ष, औसतांक पाने वाले समान समूह/पत्रों में, आधार कक्षा/खण्ड के अन्य उत्तीर्णांक वाले समूह/पत्र का औसतांक दिया जाय।

D. विभिन्न कक्षाओं के 2020 वर्षीय द्वितीय खण्डों की परीक्षा में अनुपस्थित होने पर तथा अनुपस्थित होने का औचित्यपूर्ण एवं सप्रमाण कारण बताने पर उनको पाठ्यक्रम की पूर्णता की अधिकतम मान्य अवधि के एक वर्ष पूर्व तक द्वितीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए प्रथम खण्ड में उक्त निर्धारित व्यवस्थानुसार औसतांक दिया जाएगा।

E. विभिन्न कक्षाओं के 2020 वर्षीय द्वितीय खण्डों की परीक्षा में बैक के योग्य न होने तथा पूर्णतया अनुत्तीर्ण होने पर उनको पाठ्यक्रम की पूर्णता की अधिकतम मान्य अवधि के एक वर्ष पूर्व तक द्वितीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए प्रथम खण्ड में उक्त निर्धारित व्यवस्थानुसार औसतांक दिया जाएगा।

F. प्रायोगिक विषयों वाले वे छात्र जो शास्त्री प्रथम 2020 में अध्ययनरत हैं तथा वर्ष 2021 के लिये शास्त्री द्वितीय में प्रोन्नत हो रहे हैं उनके द्वितीय खण्ड के प्रायोगिक के अंक ही प्रथम खण्ड प्रायोगिक के अंक होंगे। द्वितीय खण्ड के सप्तम और अष्टम पत्र के औसतांक प्रथम खण्ड के सप्तम और अष्टम पत्रों के प्राप्तांक होंगे।

G. प्रायोगिक विषयों वाले ऐसे शास्त्री द्वितीय खण्ड वर्ष 2020 के छात्र शास्त्री तृतीय खण्ड में प्रोन्नत / प्रवेश हो रहे हैं और उनके शास्त्री प्रथम खण्ड वर्ष 2019 अथवा नियमानुसार मान्य 2019 के पूर्व के शास्त्री प्रथम खण्ड में प्राप्त प्रायोगिक अंक ही शास्त्री द्वितीय खण्ड के प्रायोगिक के अंक होंगे। उनके प्रथम खण्ड के सप्तम और अष्टम पत्र के औसतांक द्वितीय खण्ड के सप्तम और अष्टम पत्रों के प्राप्तांक होंगे।

H. प्रायोगिक विषयों वाले ऐसे पूर्वमध्यमा / उत्तरमध्यमा प्रथम खण्ड वर्ष 2020 के छात्र जो पूर्वमध्यमा / उत्तरमध्यमा द्वितीय खण्ड में प्रोन्नत होंगे तथा वे 2020–21 की द्वितीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनके द्वितीय खण्ड के प्रायोगिक के अंक ही प्रथम खण्ड के प्रायोगिक तथा द्वितीय खण्ड सैद्धान्तिक के अंक ही प्रथम खण्ड सैद्धान्तिक के अंक होंगे।

I. एकल विषयक परीक्षाओं हेतु नियमानुसार परीक्षावेदन पत्र पूरित किये गए परीक्षार्थियों के सम्बन्ध मे यह निर्णय लिया गया कि तत्सम्बन्धित मुख्य कक्षाओं की औसतांक प्रदान करने, प्रोन्नत करने एवं परीक्षा संचालन के नियम इन एकल विषयक परीक्षार्थियों पर भी यथावत प्रभावी होंगे।

16. उक्त व्यवस्था तत्कालीन परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा शासकीय दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तनीय होगी।

21.8.20
परीक्षा नियंत्रक
सचिव / सदस्य- परीक्षा समिति
सं0सं0वि0वि0 वाराणसी।
21/08/2020

पत्रांक प.नि. 4525/20 दिनांक 21.08.2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव–कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. परीक्षा समिति के महानुभाव।
3. सिस्टम मैनेजर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. आशुलिपिक कुलसचिव।
5. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)।
6. अधीक्षक (परीक्षा)।
7. सम्बद्ध पत्रावली।

21.8.20
परीक्षा नियंत्रक
सचिव / सदस्य परीक्षा समिति
सं0सं0वि0वि0 वाराणसी।
21/8/2020